भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN RUPEES

NOTARIAL NOTARIAL

CANCELLED

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 85AF 842653

दिलीप कुमार सचान उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री अमर सिंह सचान निवासी मकान नम्बर बी 16 सिविल लाइन इटावा ने सशपथ कथन किया है कि

1- यह कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती शैलजा सचान, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गाजियाबाद में महिला सदस्य के पद पर दिनांक 26.06.2022 से कार्यरत हैं। श्रीमती शैलजा सचान, सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गाजियाबाद की अद्यतन वेतन पर्ची अध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गाजियाबाद द्वारा प्रमाणित कर पृथक से संलग्न की जा रही है।

2- यह कि सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पद हेतु उपभोक्त संरक्षण अधिनियम 2019 व अधिसूचित नियमों में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में विशेष सचिव, उ०प्र०शासन द्वारा पत्र सं० /84-2-2022 उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांकित 18 अगस्त 2022 तथा निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा पत्रांक सं० 2522/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.04/19टी.सी. दिनांक 01 सितंबर 2022 व पत्रांक सं० 2566/एस.सी.डी.आर.सी./अधि./37/21 दिनांक 05 सितंबर 2022 को निर्गत किये गये है।

3. महोदय, उपरोक्त सभी तथ्य शपथकर्ता के निजी ज्ञान व दस्तावेजों के अनुसार सही व सत्य हैं।

D. Sachan

नोटरी
बिशन चन्द्र अग्रवाल
एडवोकेट
इटावा
रजि० नं०-4692
19-2-24
भारत सरकार

प्रमाणित किया जाता है कि यह दिलीप कुमार सचान प्रस्तुत किया जिनकी पहचान श्री स्वयं एडवोकेट ने की इस शपथ पत्र के पूर्ण अभिलेख को पढ़कर अनुवाद को समझ कर स्वीकार किया स्थान
दिनांक 19-2-24

बिशन चन्द्र अग्रवाल
एडवोकेट
नोटरी
कलक्ट्रेट-इटावा
रजि० नं०-4692

D. Sachan

121

स्टाम्प विक्री तिथि........ 1-2-24

स्टाम्प का प्रयोजन........ 214445

क्रेता का नाम व पता........ [illegible]

स्टाम्प

लाइसेन्स सं.68 वैधता 31.03.2027

कलैक्ट्रेट

[illegible]

संख्या- /84-2-2022

प्रेषक,

अतुल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मा. अध्यक्ष,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक: 18 अगस्त, 2022

विषय :- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के मा. अध्यक्ष एवं सदस्यगण के स्थानांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि विभिन्न मा. अध्यक्ष/सदस्यगण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों द्वारा पारिवारिक/स्वास्थ्यगत कठिनाइयों/आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदनपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 में जिला आयोग के मा.अध्यक्ष एवं सदस्यगण के स्थानांतरण हेतु कोई प्रावधान नहीं है। अतः अनुरोध है कि नियमों के अभाव में मा. अध्यक्ष/सदस्यगण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के स्थानांतरण से सम्बंधित प्रस्ताव शासन को कृपया संदर्भित न किये जायें।

भवदीय,

Signed by अतुल सिंह
Date: 18-08-2022 16:53:27
Reason: Approved

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निबंधक,राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।

AO (E)
22-8-22

Satyajohi
AL
22/8/22

ई-मेल

पत्रांक : 2522/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.04/19 टी.सी.

प्रेषक,

निबंधक,

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

उ0प्र0।

लखनऊ :: दिनाँक : 01 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2022

विषय : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के मा0 अध्यक्ष एवं सदस्यगण के स्थानांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या I/203026/2022, दिनांक 18.08.2022(छायाप्रति संलग्न) एवं 1005/84-2-2022, दिनांक 16.08.2022(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो जिला उपभोक्ता आयोगों के मा0 अध्यक्ष एवं सदस्यगण के स्थानांतरण के संबंध में है।

इस संबंध में शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण(राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 में जिला आयोग के मा0 अध्यक्ष एवं सदस्यगण के स्थानानंतरण हेतु कोई प्रावधान नही है। अतः नियमों के अभाव में मा0 अध्यक्ष/ सदस्यगण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के स्थानांतरण से संबंधित प्रस्ताव शासन को कृपया संदर्भित न कराये जायें।

उक्त के संबंध में शासन द्वारा प्रेषित उक्त पत्रों की छायाप्रतियाँ सूचनार्थ प्रेषित।

सादर,

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्र. कुमार

(प्रदीप कुमार III)

निबन्धक

पत्रांक:2566 / एस.सी.डी.आर.सी. / अधि. / 37 / 21

प्रेषक,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ. प्र.,
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, (शहीद पथ के बगल)
गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सदस्यगण,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
लखीमपुर खीरी, चित्रकुट, सोनभद्र, अयोध्या, बरेली प्रथम, सोनभद्र, हमीरपुर, कन्नौज, गाजियाबाद, ललितपुर,इटावा, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, बलिया।

लखनऊ : दिनॉक 05 सितम्बर, 2022

विषयः– **जिला आयोगों के अध्यक्ष / सदस्यगण के स्थानान्तरण संबंधी प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रेषित पत्रों में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासन को समय–समय पर पत्र प्रेषित किये जाते रहे है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पत्र दिनांक 02.08.2022 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 2019 एवं अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियमों में स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रावधान नही है। अतएव शासन द्वारा विभिन्न आवदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थानांरण प्रार्थना पत्रों को मूल रूप में वापस प्रेषित कर दिये गये है।

अतः उक्त के संबध में शासन द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 02.08.2022 की छायाप्रति सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नकः– **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(प्रदीप कुमार III)
निबंधक